21.9.17

शिकायतकर्ता सिद्धार्थ / वकील प्रार्थी उपस्थित
वकील प्रार्थी ने आर्थिक निरोधक
प्रभाग के विरुद्ध सुनी / शिकायत
का मनन करने पर पाया कि अभियोगी संख्या
01/17 व अन्य के विरुद्ध अभियोग
संख्या 01/17 में अन्वेषण के उपरान्त
आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अभियुक्त
द्वारा अभियोग में अभियोगी संख्या
5 से 10 अभियुक्त गण के अपराध नहीं
किए हैं अतः इनकी एक पक्षीय कार्यवाही की
जाती है। शेष की वादिगण प्रस्तुत की जाती है
शिकायत के उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्य के आधार
पर विवादग्रस्त व्यक्ति गण के खाते में
अनुमान रु० 2 करोड़ रु० मिलने के
अनुमान तहसील व जिला स्तर के आयोग को
गत्वर 592/2 दर्शाता 18 बीघा की किस्त में
अभियोगी के बाकी निर्माणाधीन राजाज्ञा
पर मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु
पाबन्द किया जाता है। शिकायत दर्ज रजिस्टर में
कार्यालय प्रतिवेदन शुल्क लिया जाए।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (आर.ए.एस.)
जिला कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.29 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner